

15

अपील नं०-

2015

निगरानी 66-III-15



विमल बहादुर सिंह उर्फ विमल सिंह तनय श्री वृजमोहन सिंह,
निवासी ग्राम तेदुन, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म०प्र०)

—निगरानीकर्ता

बनाम

आम जनता तेदुन तनय तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म०प्र०) द्वारा
प्रतिनिधि :-

- अ- धमेन्द्र सिंह तनय श्री बाके सिंह
 - ब- विष्णू प्रताप सिंह तनय श्री राघवेन्द्र सिंह
 - स- शीतला सिंह तनय राजबहादुर सिंह
 - द- विजय बहादुर सिंह तनय शिशुपाल सिंह
 - च- राजमणि साहू तनय बाल्मीक साहू
 - फ- अरुण सिंह तनय सत्यनारायण सिंह
- सभी निवासी ग्राम तेदुन, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म०प्र०)
- य- म०प्र० राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय रीवा (म०प्र०)

—गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय
जिला रीवा के प्रकरण नं०-53/अ-19/
08-09 आदेश दिनांक 09/12/2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व
संहिता 1959 ई०

मान्यवर

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं :-

- 1- यह कि निगरानीकर्ता विमल बहादुर सिंह के नाम से 20 सूत्रीय
समिति एवं नायब तहसीलदार, तहसील सिरमौर, जिला रीवा के

श्री विमल सिंह
श्री राजमणि साहू
श्री अरुण सिंह


pt

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-66-तीन/15

जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. चौहान उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 53/अ-19/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	